प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ में 80 बिस्तरों (02 इकाइयां पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन तथा 02 इकाईयां एनेस्थीसिया आई0सी0यू0) की क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट व्यवस्था के अधीन वेन्टीलेटर युक्त विस्तरों के संचालन हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-6855/योजना/2018 दिनांक 05.10.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ में पल्मोनरी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 02 अतिरिक्त इकाईयां (40 बेड) की क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट व्यवस्था के अधीन वेन्टीलेटर युक्त विस्तरों के सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु शैक्षणिक संवर्ग के 06 पदों, सीनियर रेजीडेन्ट के 24 पदों, गैर शैक्षणिक संवर्ग के 182 पदों एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से 24 पदों (कुल 236) एवं एनेस्थीसिया विभाग की आई0सी0यू0 क्रिटिकल केयर यूनिट (टी.वी.यू.) की 02 इकाई (40 बेड) के लिए क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के 05 पदों, सीनियर रेजीडेन्ट के 12 पदों, गैर शैक्षणिक संवर्ग के 118 पदों एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से 12 पदों (कुल 147) अर्थात कुल 383 पदों के सृजन, जिसका उल्लेख क्रमशः इस शासनादेश के संलग्नक-1 एवं संलग्नक-2 में किया गया है, को अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है।

I. सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हताआवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण / दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपतिनियुक्ति आदि की कार्यवाही /कुलसचिव का होगा। पदों पर भर्ती/ निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

II. सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मकने की दशा में भरे जायेंगे। वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हो/ सृजित पदों को भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एम0सी0आई0 तथा अन्य नियामक संस्थाओं की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

III. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पदों को एम0सी0आई0 की गाइड लाइन तथा अन्य अपेक्षित मानकों के अनुरूप है।

IV. विभागों के संचालित होने की दशा में ही पद भरे जायेंगे।

2- उक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/2504-दस-2018, दिनांक 20 दिसम्बर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलगनकःयथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 151/2018/3337(1)/71-2-18-सी0एम0यू0-93/2011टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार /प्रथम (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (सिविल आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी लखनऊ।
5. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठां तल योजना भवन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

'kklukn'k l[;k& 151/2018/3337@71&2&18&lh0,e0;0&93@2011Vh0lh0 fnukd 24 fnlEcj] 2018 dk lyXud%&1

d0	inuke	l[;k	fnukd 01&1&2006 lykx oru c.M@xM oru ¼:0 e½	fnukd 01&1&2016 lykx iujhf{kr oru efVDl e yoy	fnukd 01&1&2016 l ykx iujhf{kr oru efVDl e orueku ¼:0 e½
¼v½ iYekujh ,o fdVhdy d;j efMflu dh 02 vfrjDr bdkb;k d 40 fcLrjk d lpkyu grA					
1	,lkfl,V ikQlj	02	37400-67000/9000	13A1	131400-204700
2	vflLVV ikQlj	04	15600-39100/8000	12	101500-167400
3	lhfu;j jthM.V	24	15600-39100/6600	11	67700-208700
4	flLVj xM&1	02	9300-34800/4800	8	47600-151100
5	flLVj xM&2	150	9300-34800/4600	7	44900-142400
6	lkbdkykftLV@ dkmUlyj	04	9300-34800/4200	6	35400-112400
7	tfu;j efMdy fjdkM vkQhlj	01	5200-20200/2000	3	21700-69100
8	LVukxkQj	01	5200-20200/2800	5	29200-92300
9	LVkj dhij de ijpt vflLVV	01	9300-34800/4200	6	35400-112400
10	VDuhf'k;u xM&2	08	5200-20200/2800	5	29200-92300
11	vflLVV Mk;fVf'k;u	02	9300-34800/4200	6	35400-112400
12	tfu;j fQft;kfFkjfiLV	10	9300-34800/4200	6	35400-112400
13	ck;kefMdy VDuhf'k;u	02	5200-20200/2400	4	25500-81100
14	QkekflLV xM&3	01	5200-20200/2800	5	29200-92300
15	i:"k @efgyk okMZ Cok;	24	vkmV lkflx d ek/;e lA		
;kx		236			

¼ dynhi dekj jLrkxh ½
mi lfpoA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

'kklukn'k l[;k& 151/2018/3337@71&2&18&lh0,e0;0&93@2011Vh0lh0 fnukd 24 fnlEcj] 2018 dk lyXud%&2

d0	inuke	l[;k	fnukd 01&1&2006 lykx oru c.M@xM oru ¼:0 e½	fnukd 01&1&2016 l ykx iujhf{kr oru efVDl e yoy	fnukd 01&1&2016 l ykx iujhf{kr oru efVDl e orueku ¼:0e½
¼c½ ,uLFkhfl;k vkb0lh0;0 foHkkx dh 02 vfrjDr bdkb;k d 40 fcLrjk d lpkyu grA					
1	,lkfl,V ikQlj ¼,uLFkhfl;k½	02	37400-67000/9000	13A1	131400-204700
2	vflLVV ikQlj ¼,uLFkhfl;k½	03	15600-39100/8000	12	101500-167400
3	lhfu;j jtlM.V ¼,uLFkhfl;k½	12	15600-39100/6600	11	67700-208700
4	flLVj xM&1	02	9300-34800/4800	8	47600-151100
5	flLVj xM&2	100	9300-34800/4600	7	44900-142400
6	efMdy lk'ky odj xM&2	03	9300-34800/4200	6	35400-112400
7	efMdy fjdkM vV.M.V xM&2	01	vkmVlkflx d ek/;e lA		
8	LVukxkQj	01	5200-20200/2800	5	29200-92300
9	LVkj dhij de ijpt vflLVV	01	9300-34800/4200	6	35400-112400
10	VDuhf'k;u xM&2	03	5200-20200/2800	5	29200-92300
11	VDuhf'k;u xM&2 ¼jLihjVjh fFkjfiLV½	04	9300-34800/4200	6	35400-112400
12	vflLVV Mk;fVf'k;u	01	9300-34800/4200	6	35400-112400
13	ck;kefMdy VDuhf'k;u	01	5200-20200/2400	4	25500-81100
14	QkekflLV xM&3	01	5200-20200/2800	5	29200-92300
15	i:"k @efgyk okM Cok;	12	vkmV lkflx d ek/;e lA		
	;kx&	147			

¼ dynhi dekj jLrkxh ½
mi lfpoA

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।